संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,
ई–5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 7344 / वि.यो. / जबलपुर / नग्रानि / 2019 भोपाल,दिनांक 19/12/2019

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में यथानिर्दिष्ट तिलवारा घाट से भिटौली को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग के एलाइनमेंट में उपांतरण का प्रारूप, म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 13/12/2019 को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट–http://www.mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/Amrut/jbp.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर
2. कलेक्टर जबलपुर, जिला जबलपुर
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

जबलपुर विकास योजना 2021 अनुसार दर्शित मार्ग एवं प्रस्तावित उपांतरित मार्ग

PROPOSED BYPASS 60M WIDE ROAD ALIGNMENT & 30M WIDE ROAD RE ALLIGNMENT

(NARMADA SAMRIDHI CORRIDOR)

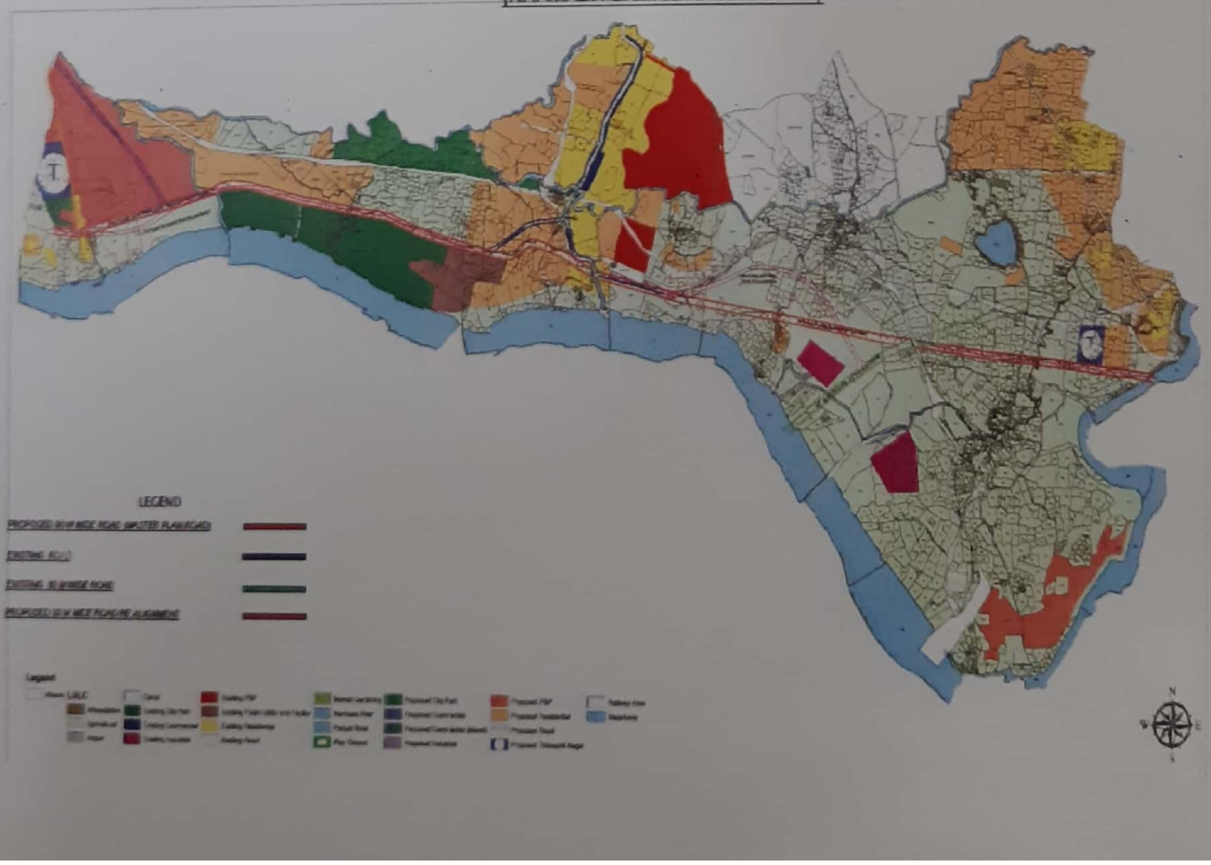

Scanned by CamScanner

यदि कोई आपत्ति या सुझाव विकास योजना के मार्ग के एलाइनमेंट परिवर्तन के प्रारूप के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर में अथवा ई–मेल पर obj-sugg-jbp@mp.gov.in पर इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल

Scanned by CamScanner